बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

–::कार्यालय आदेश::–

का०आ०सं०–01 / स्था०राज०–213 / 2021– 939 पटना, दिनांक 09 जुलाई, 2025

श्री कैलाशनाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी (गया) को सरकारी कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही करने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का बराबर अवहेलना करते रहने के फलस्वरूप इनकी सेवा कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय पत्रांक–874 दिनांक–01.07.2025 से वापस करते हुए दिनांक–01.07.2025 के अपराहन से गन्ना उद्योग विभाग से विरिमित करने का आदेश दिया गया था, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री कैलाश नाथ के द्वारा अबतक प्रभार त्याग कर कृषि विभाग में योगदान नहीं किया गया है।

अतएव, श्री कैलाश नाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी (गया) को विभागीय पत्रांक–874 दिनांक–01.07.2025 के आलोक में दिनांक–09.07.2025 के प्रभाव से स्वतः विरमित किया जाता है। निदेश दिया जाता है कि कृषि विभाग में अविलंब योगदान समर्पित करें ।

श्री वेदव्रत कुमार, विशेष ईख पदाधिकारी, पटना को अपने कार्य के अतिरिक्त सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी (गया) के कार्यालय का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

09/07/2025

(अरूण कुमार)
अवर सचिव।

ज्ञाप संख्या– 939 पटना, दिनांक 09 जुलाई, 2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एंव ह०), बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, कृषि विभाग / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के आशुटंकक / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी / पूर्णिया / सहरसा / सीतामढ़ी / समस्तीपुर / श्री वेदव्रत कुमार, विशेष ईख पदाधिकारी, पटना / श्री कैलाशनाथ, सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी (गया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई.टी. प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

09/07/20

अवर सचिव।

Hall